WR

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
23-1-2013	**खण्ड-पीठ** **श्री प्रमिल कुमार माथुर, सदस्य** **श्री बी. एल. गुप्ता, सदस्य** **उपस्थित :** श्री वी.पी. सिंह, अभिभाषक अपीलार्थीगण श्री समीर अहमद, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण **आदेश** हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-225 के अन्तर्गत विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा द्वारा प्रकरण संख्या-131/2012 में दिनांक 4-1-2013 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं । हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस विचारार्थ ग्राहयता के प्रश्न पर सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया । विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण का कथन है कि विचारण न्यायालय ने प्रत्येक विवाद्यक पर कमवार विवेचन कर अपना निर्णय सम्यक् रूप से पारित किया है, लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निराधार कारणों पर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है। उनका यह भी कथन है कि पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश-41 नियम-23 से 25 के अनुसार भी प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना उचित नहीं है । प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने पर उन्हें विचारण न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय डिक्री को अपास्त कराने का विकल्प प्राप्त था एवं प्रथम अपील पोषणीय नहीं थी। अतः हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार किये जाने योग्य है । इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण का कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हुई थी । अतः एकपक्षीय रूप से पारित डिक्री को अपास्त करते हुये प्रथम अपीलीय न्यायालय ने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः अन्वीक्षा हेतु प्रतिप्रेषित करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है । निष्कर्षतः हस्तगत् द्वितीय अपील निरस्त किये जाने योग्य है । हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13-9-1992 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर अनुतोष सहित दस विवाद्यक विरचित किये थे । यद्यपि विचारण न्यायालय ने प्रत्येक विवाद्यक पर अपना निर्णय पारित किया है, लेकिन विचारण न्यायालय ने प्रत्येक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष अत्यन्त सूक्ष्म एवं औपचारिक रूप से पारित किया है एवं प्रत्येक विवाद्यक के निष्कर्ष में निमित कारणों का समावेश नहीं है। इस संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आदेश-20 नियम-5 सुस्पष्ट है, जो निम्न प्रकार है :- "उन वादों में, जिनमें विवाद्यक की विरचना की गयी है, जब तक कि विवाद्यकों में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिये पर्याप्त न हो, न्यायालय हर एक पृथक् विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष या विनिश्चय उस निमित कारणों के सहित देगा।" उक्त प्रावधान के अनुसार प्रत्येक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष निमित कारणों के साथ देना आज्ञापक है । अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष कि विचारण न्यायालय ने प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन नही किया है, उपरोक्त प्रावधानों की पृष्ठभूमि में विधिसम्मत् है । यह स्वीकृत स्थिति है कि विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से वाद डिक्री किया गया है एवं एकपक्षीय रूप से पारित डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी या तो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश-9 नियम-13 के अन्तर्गत उसी न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय डिक्री को अपास्त कराने का आवेदन प्रस्तुत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	कर सकता है अथवा उक्त एकपक्षीय डिक्री के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है । अतः उपरोक्त सुस्थापित विधि को दृष्टिगत रखते हुये विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण का कथन कि एकपक्षीय डिक्री के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है , सारहीन प्रतीत होता है । जहां तक प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित करने का प्रश्न है । इस संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश-41 नियम-23(A) के अनुसार जहां प्रकरण का पुर्नविचारण आवश्यक समझा गया है वहां अपीलीय न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित करने की शक्ति प्राप्त है । हस्तगत् प्रकरण में यह दृष्टिगोचर होता है कि प्रत्यर्थीगण को विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य एवं सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्राप्त नहीं हुआ है एवं विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित की गयी है । अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण का पुर्नविचारण आवश्यक होने पर प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में किसी प्रकार की विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की है। निष्कर्षतः हस्तगत् द्वितीय अपील विचारार्थ ग्राहयता के प्रक्रम पर अस्वीकार कर निरस्त की जाती है एवं विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 4-1-2013 की पुष्टि की जाती है । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (बी. एल. गुप्ता) सदस्य (प्रमिल कुमार माथुर) सदस्य	